संख्या- 3/2016/154/84-1-16-20बामा/2014

प्रेषक,

बी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2016

विषय- विधिक माप विज्ञान विभाग में विभिन्न मदों में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-50/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2015-16, दिनॉक 05 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में भवन किराया, विद्युत व्यय, मजदूरी, स्थानान्तरण व्यय, लेखन सामग्री तथा फार्मों की छपाई गाड़ियों का अनुरक्षण, व्यावसायिक सेवा, प्रशिक्षण आदि पर हुये व्यय के लम्बित बिलों आदि के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 22,33,000/- (रू0 बाइस लाख तैतीस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य-आर्थिक सेवाये-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय विभिन्न मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-3 में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-10 अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/222/दस-2016, दिनॉक 18 मार्च 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-3/2016/154(1)/84-1-16-20बामा/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन	13,97,91	3,39,66	15,00	15,00	13,82,91
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-03-महंगाई भत्ता	16,77,49	4,44,72	30,41	733	16,70,16
योग-	30,75,40	7,84,38	45,41	22,33	30,53,07

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-02-मजदूरी	500	785	285	285	785
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-05-स्थानान्तरण व्यय	100	184	84	84	184
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-09- विद्युत व्यय	800	1037	237	237	1037
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-11-लेखन सामाग्री	500	2228	1728		500
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाड़ियो का अनुरक्षण एवं पे टोल की खरीद	2220	2800	580	80	2220
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक सेवा व्यय	100	180	80	1414	180
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	4000	5414	1414	133	5414
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-44-प्रशिक्षण व्यय	500	633	133		633
योग-	8720	13261	4541	2233	10953

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण स्वीकृत पदों का रिक्त होना है ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण सम्बन्धित मानक मदों में धनराशि आवंटित न होना है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0-573/ई-7-222/दस-2015 दिनॉक 18 मार्च, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
उप सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 3/2016/154/84-1-16/2015 दिनॉक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in